

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकड़, जयपुर ग्रामीण
 नोरती बनाम मीठालाल
 1/वर्ष : 28 /2019

क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------------	----------------------	-------------

3/11/24 पतावली पेश हुई वकील प्रार्थी अणु अग्रार्थिण को लम्बन जरिए जठ ले भेजे एउ भाए ले अधिठ का लम्बन धे चुत्र हें। लम्बन अहम लम्बिल लोकर प्राप्त नही। अतः लम्बिल लम्बन जानी जाती हें।

लम्बन लम्बिल के उपरांत अग्रार्थिण टाजीर नही। अतः अग्रार्थिण के विरुद्ध एउ पञ्जीम कार्यवाही की जाती हें।

वदय प्र. पत्र पर वकील प्रार्थी की पुनीर्षा बहल वकील प्रार्थी की लुनेने व पतावली का अवलोकन करने पर हम पाते हें कि प्रार्थिण अग्रार्थिण अ-० का वरिल हें, एवं अक्त खे पादग्रस्त भूमि पेंतूठ भूमि हें जिलेमें प्रार्थिण का हठ व हिल्ला बह जिहति हें। अतः प्रार्थी का प्र. पत्र अहथार्थ निषेधाज्ञा का ल्वीनर क्रिया जाकर अग्रार्थिण अ-० को लोकेललावाद अल्यार्थि निषेधाज्ञा ले पाबंद क्रिया जान हें कि अग्रार्थिण अ-० प्र. पत्र के भरत. ० में उल्लेखित भूमि में अपने दर्ज हिल्ले ले ३५ अधिल्ल का बेचान/ अन्तरण नही करे।

पतावली केवल शुमार दोऊर दर्ज नम्बर ले कर हें।

21
 जयपुर